KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

अनु 105 संसदीय विशेषाधिकार - Parliamentary Privileges -

संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि- Powers, privileges etc. of the Houses of Parliament and its members and committees -

1. संसद अपनी कार्यवाही के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी हिस्से कर्यवाही से बाहर कर सकेगा। Parliament can exclude the whole or any part of its proceedings from proceedings.
2. संसद अपनी कार्यवाही के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी हिस्से को प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगा सकता है। Parliament can ban the publication or broadcast of the whole or any part of its proceedings.
3. दीवानी मामले में सत्र आरम्भ होने के 40 दिन पहले या समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। In a civil case, no person can be arrested 40 days before the beginning of the session or 40 days after its end.
4. संसद अपनी अवमानना के लिए स्वतः दण्डित कर सकेगा। Parliament can punish for its contempt.

अनु 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण -(बजट)- Annual Financial Statement -(Budget)-

संघ सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के आय व व्यय के विवरण राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कैबिनेट मंत्री (वित्त मंत्री) के द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।
The statement of income and expenditure of a financial year by the Union Government is presented in the Lok Sabha by the Cabinet Minister (Finance Minister) with the prior permission of the President.

एक वित्तीय वर्ष – 1 April – 31 मार्च

बजट एक प्रकार का धन विधेयक है।Budget is a type of Money Bill.

बजट शब्द को संविधान में कहि पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, The word budget is not defined anywhere in the Constitution,

अनु 114 - विनियोग विधेयक- Appropriation Bill भारत के संचित निधि से दो प्रकार के व्यय किये जाते है . पहला स्थायी व्यय दूसर अस्थायी व्यय ,

Two types of expenditure are made from the Consolidated Fund of India. The first is permanent expenditure and the second is temporary expenditure.

अस्थायी व्यय को करने के लिए बजट के दौरान धन का प्रावधान किया जाता है लेकिन कितनी मात्रा मे व्यय होगा यह निश्चित नहीं होता , तो अधिक व्यय की मांग के लिए लोकसभा मे पेश किया गया विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है। Money is provided during the budget to meet temporary expenditure but it is not certain how much amount will be spent. So the bill introduced in the Lok Sabha to demand more expenditure is called an Appropriation Bill. An Appropriation Bill is a type of Money Bill.

विनियोग विधेयक , जिसे आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रस्तावित कानून है जो सरकारी धन के व्यय को अधिकृत करता है।An Appropriation Bill, also known as a Supply Bill or Expenditure Bill, is a proposed law that authorizes the expenditure of government money.

- विश्वास प्रस्ताव Confidence Motion - यह सत्ता पक्ष के द्वारा लोक सभा में विश्वास मत साधारण बहुमत से प्रस्तुत किया जाता है , यदि विश्वास मत पारित हो जाये तो , सत्ता पक्ष के विरुद्ध अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।
  This is presented by the ruling party in the Lok Sabha with a simple majority. If the confidence vote is passed, no no-confidence motion will be brought against the ruling party for the next 6 months.

सरकार को गिराने के लिए

- अविश्वास प्रस्ताव No-confidence Motion - यह विपक्ष के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा लोक सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है , यदि यह पारित हो जाय तो सम्पूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा।
  This is presented in the Lok Sabha by at least 50 members of the opposition. If it is passed, the entire council of ministers will have to resign.

↳ एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव।

अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सर्वप्रथम Pt. नेहरू के खिलाफ लाया गया। So far, no-confidence motion has been brought 27 times. It was first brought against Pt. Nehru.

सबसे अधिक 15 बार इंद्रा गाँधी के विरूद्ध लाया गया।

It was brought against Indira Gandhi the most, i.e. 15 times.

यह प्रस्ताव प्रथम बार VP सिंह के विरुद्ध पारित हुआ।

This motion was passed for the first time against VP Singh.

काम रोको' प्रस्ताव 'Adjournment Motion' -, जब संसद के सदन में कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण और जनहित विषय पर बहस और विचार करने के लिए सदन की वर्तमान कार्यवाही को रोकने का प्रस्ताव पेश करता है।

When a member in the House of Parliament presents a proposal to stop the current proceedings of the House to debate and consider an important and public interest issue.

- **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव Attention Motion** - संसद के संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव पर न तो कोई चर्चा होती है और न ही मतदान होता है। इस प्रस्ताव के आने के बाद सदन के नियमित काम को रोककर महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कराई जा सकती है और कोई भी सदस्य सरकार का ध्यान तुरंत के मामले की ओर ले जा सकता है।

It is brought to attract the attention of the concerned minister of the Parliament. There is neither any discussion nor voting on this motion. After the introduction of this proposal, the regular work of the House can be stopped and important matters can be discussed and any member can draw the attention of the government to the matter immediately.

धन्यवाद प्रस्ताव Motion of Thanks -संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार या प्रशंसा व्यक्त करने के लिये एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है और इसे सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।

A formal proposal is presented in both the houses of the Parliament to express gratitude or appreciation towards the President's address. The President's address is a description of the government's policy and it is prepared by the government.

सत्र - संसद की सामान्य बैठक प्रक्रिया सत्र कहलाता है , संसद के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिक राष्ट्रपति के पास है। एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है जिसे दीर्घवकाश कहते है।

The normal meeting process of the Parliament is called a session, the President has the power to call and end the session of Parliament. There is a maximum gap of 6 months between one session and another, which is called long vacation.

वर्ष के दौरान अधिकतम 3 बार तथा न्यूनतम २ बार बैठक किया जा सकेगा। A maximum of 3 and minimum of 2 meetings can be held during the year.

1. शीत सत्र Winter session
2. बजट सत्र Budget session
3. मानसून सत्र Monsoon session

सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है। इनके बैठक का कोई निश्चित समय नहीं होता है। The biggest session is the budget session. There is no fixed time for their meeting.

❑स्थगन Adjournment - - संसद के सदन को लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा को सभापति के द्वारा कुछ घंटे समय दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

स्थगन के समय सदन प्रस्तुत प्रस्ताव प्रार्थना संकल्प सूचना विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। The House of Parliament can be adjourned for a few hours, days or weeks by the Speaker in Lok Sabha and by the Speaker in Rajya Sabha. At the time of adjournment, the proposal, prayer resolution, notice etc. presented in the House will not have any effect on the bill.

सत्रावसान Prorogation - - संसद को सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान के समय संसद में प्रस्तुत विधेयक को छोड़कर अन्य सभी प्रस्ताव प्रार्थना संकल्प सूचना आदि समाप्त हो जायेगा। Parliament is prorogued by the President. At the time of prorogation, all the proposals, prayer resolution, notice etc. will expire except the bill presented in the Parliament.

विघटन Dissolution - - लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वतः विघटित या मंत्री परिषद के सलाह पर उससे पहले विघटित होता है।
Lok Sabha is automatically dissolved every 5 years or before that on the advice of the Council of Ministers.
राज्यसभा स्थायी सदन है कभी विघटित नहीं होता ,
Rajya Sabha is a permanent house and is never dissolved.

प्रश्न काल Question Hour - संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है। प्रशनकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

The first hour of the Parliament session is for questions and is called Question Hour. It has special importance in the proceedings of the Parliament. Asking questions is the innate and unfettered parliamentary right of the members. During Question Hour, members can ask questions on every aspect of the administration and government activities.

तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है - Three types of questions are asked -

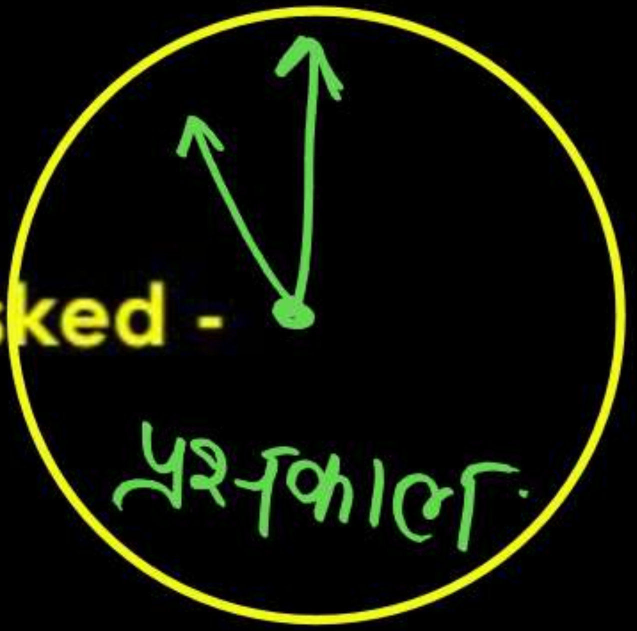

1. तारांकित प्रश्न -(10 दिन के पूर्व सूचना पर) Starred Question - (on 10 days' notice)-

बना होगा

वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में लोकसभा केवल 20 प्रश्नों को और राज्यसभा में 15 प्रश्नो को सूचीबद्ध किया जा सकता है। is one for which the member wants an oral answer in the House and an asterisk remains on it for identification. When the answer to the question is oral, supplementary questions can be asked on it. Only 20 questions can be listed in Lok Sabha and 15 questions in Rajya Sabha for oral answer in a day.

एक सदस्य अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकेगा। A member can ask a maximum of 3 questions.

२. अतारांकित प्रश्न -(10 दिन के पूर्व सूचना पर) Unstarred Question - (on 10 days' notice)

नही बना होगा।

वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर दिया जाता है। यह प्रश्न लोकसभा में 230 तथा राज्यसभा में 160 प्रश्न पूछा जाता है। एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकेगा। is one for which an oral answer is not sought in the House and on which no supplementary question can be asked. A written answer is given to such a question. This question is asked 230 times in Lok Sabha and 160 times in Rajya Sabha. A member can ask a maximum of 5 questions. If President's rule is imposed in a state

यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य से 25 अतिरिक्त प्रश्न राज्यसभा में पूछा जायेगा। , then 25 additional questions from that state will be asked in Rajya Sabha.

3. अल्प कालीन सूचना प्रश्न Short Notice Question - - वह होता है जो अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित होता है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। एक तारांकित प्रश्न की तरह, इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है जिसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

It is one which is of urgent public importance and can be asked within a shorter period than the notice period specified for a normal question. Like a starred question, it is also answered orally after which supplementary questions can be asked.

शून्यकाल Zero Hour - प्रश्नकाल और अन्य संसदीय कार्यवाही के बीच के अंतराल को दर्शाता है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। इसके अंतर्गत संसद सदस्य (सांसद) बिना किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता के संबंधित मामले प्रस्तुत कर सकते हैं। शून्यकाल एक भारतीय संसद की अपनी विशेषता है। It marks the gap between Question Hour and other parliamentary proceedings. It begins immediately after Question Hour. Under this, Members of Parliament (MPs) can present matters without the need for any prior notice. Zero Hour is a specialty of the Indian Parliament.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING